राज्य इनोवेषन फण्ड का वितरण (वर्ष 2015–16)
(दिनांक 15–6–2015)

विभाग	धनराशि (रूपकरोड़ में) में)	इनोवेशन परियोजनायें जिनके लिये धनराशि दी जानी है
क–नियोजन विभाग	40.00	सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश के 75 जनपदों में इनोवेशन से संबंधित परियोजनाओं के लिये (प्रति जनपद लाख की दर से)तथा रू0 10.00 लाख से ऊपर की असंगठित क्षेत्र की परियोजना के लिये, जो विज्ञान एवं यू0पी0टी0यू0, लखनऊ द्वारा इनोवेशन सेल को प्रस्तुत की जायेगी।
ख–विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी प्रौद्यौगिकी परिषद,उ0प्र0	5.00	असंगठित क्षेत्र के अशिक्षित बेरोजगार, शिल्पकार, किसान, कारीगर, मिस्त्री, जन–सामान्य लोग, विद्यार्थी जो नौकरी पेशा से न जुड़े हों, संगठित क्षेत्र जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि पाठ्यक्रमों से न जुड़े हों, के रू0 10.00 लाख के नीचे की परियोजनाओं के लिये।
ग–यू.पी.टी.यू. यू. लखनऊ	5.00 नोट	लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगार/व्यक्तिगत/समूह से संबंधित इनोवेशन/नवीन प्रयोगों के लिये यू.पी.टी.यू. द्वारा गठित इण्यूबेशन सेण्टर की मदद से किये जाने वाले प्रयोगों के माध्यम से रू0 10.00 लाख के नीचे के लिये। रू. 50.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद निश्चित नहीं है जो जनपद अच्छे कार्य करेंगे उनको अधिक जायेगी और जो जनपद अच्छे कार्य नहीं करेंगे उनकी धनराशि कम कर दी जायेगी।

सुशासन/प्रशासन के क्षेत्र में इनोवेशन के प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित गठित समिति के माध्यम से कराया जायेगा:–

- प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी।
- इनोवेशन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित विभागाध्यक्ष।
- परियोजना प्रस्ताव के आधार पर दो विशेषज्ञ, जो नियोजन विभाग द्वारा नामित किये जायेंगे।
- अधिक प्रस्ताव आने पर एक से अधिक मूल्यांकन समितियॉ भी गठित हो सकती हैं।

उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए/अथवा अन्य कार्य विषेष के लिए आवष्यकतानुसार अन्य संस्थाएं/विभाग भी चिन्हित कर मूल्यांकन समिति में विषेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किये जा सकते हैं।

शासन का विकास एजेण्डा सूत्र–150
(वर्ष 2015–16)

- एक इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना का प्रशासनिक एवं असंगठित क्षेत्र में विभिन्न नये विचारों को सहयोग देना तथा उन्हें आगे बढ़ाने हेतु रिप्लीकेट कराना।

सूत्र–154 (वर्ष 2016–17)

- राज्य इनोवेशन फण्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र व सुशासन के क्षेत्र में परियोजनाओं की स्वीकृति तथा कियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण।

सूत्र– 154–राज्य इनोवेषन फण्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र व सुषासन के क्षेत्र में इनोवषन परियोजनाओं की स्वीकृति तथा कियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।

माइल स्टोन

- राज्य इनोवेषन परिषद की प्रत्येक त्रैमासिक बैठक का आयोजन।

कार्यवाही

- इनोवेषन को बढावा देने एवं इनोवेषन की परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं 1/2/3 अप्रैल, 2016 को विज्ञापन प्रकाषित किया गया है।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्षी सिद्धान्त के अनुसार नई खोज एवं विकास में मा0सासद का प्रस्ताव प्राप्त करते हुए इनोवेषन के प्रस्तावों को उनके संसदीय क्षेत्र में बढावा देने के साथ प्रचार–प्रसार हेतु आवष्यक कार्यवाही करने के लिये समस्त जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त को को पत्र दिनांक 27 अप्रैल,2016 को प्रेषित किया गया।
- राज्य इनोवेषन कौंसिल की बैठक हेतु कई बार प्रयास किये गये। बैठक 29 मार्च, 2016, 19 अप्रैल, 2016 को होनी प्रस्तावित थी, जो पुनः 19 मई, 2016 को आयोजित है।
- दिनांक 28–4–2016 को वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को इनोवेषन के क्षेत्र में प्रस्ताव षीघ्र प्रेषित करनेके निर्देष दिये गये।
- दिनांक 28–4–2016 को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से अनुश्रवण किया गया।
- एस0एम0एस0 के माध्यम से भी जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्तों को इनोवेषन के प्रोत्साहन हेतु अनुरोध किया गया।
- जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्तों एवं प्रदेष के विभागों से इनोवेषन के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

प्रेस विज्ञप्ति

दीर्घकालीन योजना प्रभाग एवं राज्य इनोवेशन सेल
योजना भवन, लखनऊ।

सं0— 11 दी0यो0प्र0 एवं रा0इ0से0/2016 दिनांकः 01 मार्च, 2016

सुशासन/प्रशासनिक सेवाओं में इनोवेशन के क्षेत्र में नये प्रस्ताव प्राप्त किया जाना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सुशासन/प्रशासनिक सेवाओं में जनसामान्य के नये विचार आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वे अपना नया विचार/सोच को निम्नलिखित मदों में व्यक्त कर सकते है।

क— शासन व प्रशासन द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने की प्रकियाओं का सरलीकरण अथवा नवीन तकनीक (आई0टी0) के प्रयोग से नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने (Good Governance) या उत्पादकता/क्षमता/प्रभावशीलता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव।

ख— लोक सेवा से जुड़े विभिन्न सेक्टर जैसे—शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, अवस्थापना इत्यादि। इन्हीं सामाजिक क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ाने एवं उनको सशक्त करने संबंधी नवीन प्रयोग, प्रकिया अथवा उत्पाद को विकसित कर उसका व्यापक उपयोग कराकर अपेक्षाकृत कम लागत से अधिक नागरिकों को बेहतर सेवाएं/लाभ पहुँचाने से संबंधित प्रस्ताव।

ग— पर्यावरण एवं वनों/वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किये जाने वाले नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।

घ— स्वच्छ एवं हरित उत्तर प्रदेश अभियान (क्लीन एवं ग्रीन यू0पी0) के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तावित नवीन प्रयोग।

उपरोक्त मदों से संबंधित समस्त प्रस्ताव चाहें वह शासकीय हो या विभिन्न संगठन यथा—चिकित्सा, कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार के सार्वजनिक उपकम, गैर शासकीय संगठन से संबंधित प्रस्ताव, अपने जनपद के जिलाधिकारी को प्रेषित करेगें।

इसमें कोई व्यक्ति या समूह भी प्रस्ताव दे सकता है लेकिन उसे यह प्रस्ताव अपने जनपद में जिलाधिकारी महोदय के यहॉ देना होगा।

जिलाधिकारी से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों को नियोजन विभाग में राज्य इनोवेशन सेल के मूल्यांकन समिति से आंकलन करवाने के पश्चात् ही इसका वित्त पोषण जिलाधिकारी के माध्यम से वेबसाइट Shasanadesh.up.nic.in में वर्णित गाइड—लाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार संबंधित संस्था को की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय में अथवा राज्य स्तर से नियोजन विभाग में गठित राज्य इनोवेशन सेल के कार्यालय फोन न0—0522—2238962 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(डा0 आनन्द मिश्र)
निदेशक।

Nihar Deb

नियोजन अनुभाग-1,

संख्याः 43/2015/1218/35-1-2015/2/1(29)/2015

दिनांकः दिसम्बर 07, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना को श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना नियोजन विभाग के दीर्घकालीन योजना प्रभाग में की जाती है तथा यह इनोवेशन सेल, राज्य इनोवेशन परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>संख्या: 43/2015/1218/(1)/35-1-2015- तद् दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3- प्रमुख स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
7- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ0प्र0।
9- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
10- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
11- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान/अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
12- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव